

UNCAT और हरिसत में यातना

प्रलम्ब के लिये:

[UNCAT 1984](#), [मानवाधिकार अनुच्छेद 21](#), [आपराधिक न्याय प्रणाली](#), [NHRC](#), [UDHR](#), [नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध](#), [वर्धितायोग](#)।

मेन्स के लिये:

UNCAT और भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन करने की आवश्यकता, हरिसत में यातना से बचने के उपाय।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हरिसत में यातना के खतरों के संबंध में तहवुर राणा की अमेरिकी अपील और संजय भंडारी को प्रत्यर्पित करने से बर्टिन के उच्च न्यायालय के इनकार ने यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड (UNCAT) 1984 के खिलाफ [संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन](#) की पुष्टि करने और यातना वरिधी कानून पारित करने में भारत की वफिलता फरि से चर्चा का वषिय बन गई है।

UNCAT क्या है?

- परचिय: यह वशिव में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड को रोकने के लिये एक [अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि](#) है।
 - इसे [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) द्वारा 10 दसिंबर, 1984 को अपनाया गया तथा 26 जून, 1987 को लागू किया गया।
- यातना की परभाषा: UNCAT के अनुच्छेद 1 में यातना को, किसी सार्वजनिक अधिकारी की भागीदारी या सहमति से, सूचना प्राप्त करने, दंड देने या धमकी देने जैसे उद्देश्यों के लिये जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाने के रूप में परभाषित किया गया है।
- सार्वभौमिक अधिकार कषेत्तर: अनुच्छेद 5 राज्यों को यातना के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने या उन्हें प्रत्यर्पित करने की आवश्यकता पर बल देता है, चाहे अपराध कहीं भी किया गया हो या अपराधी की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
- राज्य के दायित्व: UNCAT के पक्षकार राज्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे:
 - यातना पर पूर्णतः प्रतर्बिध लगाएँ (अनुच्छेद 2), युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में भी।
 - व्यक्तियों के प्रत्यर्पण या नरिवासन पर रोक लगाना (गैर-वापसी का अधिकार) उन देशों में जहाँ उन्हें यातना दिये जाने का खतरा हो (अनुच्छेद 3)
 - घरेलू कानून के तहत यातना को अपराध घोषित किया जाएगा (अनुच्छेद 4)।
 - यातना के आरोपों की शीघ्र एवं नषिपक्ष जाँच करना (अनुच्छेद 12)।
 - यातना के पीड़ितों को नविरण और मुआवजा प्रदान करना (अनुच्छेद 14)।
- यातना (टॉरचर) के वरिद्ध समति (CAT): CAT (अनुच्छेद 17), स्वतंत्र वशिषज्जों का एक नकाय है जसि कन्वेंशन के कार्यान्वयन की नगिरानी का कार्य सौपा गया है।
- UNCAT के लिये वैकल्पिक प्रोटोकॉल (OPCAT): वर्ष 2002 में अपनाया गया यह प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नकियों द्वारा नयिमति रूप से हरिसत में लिये गए लोगों के दौरों के लिये एक नविरक तंत्र का नरिमाण करता है।
- भारत और UNCAT: भारत ने वर्ष 1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।

हरिसत में यातना क्या है?

और पढ़ें: [हरिसत में यातना](#)

भारत को UNCAT का अनुसमर्थन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रत्यर्पण का सुदृढीकरण:** इससे वित्तीय मामलों के भगोड़े व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने में मदद मिलेगी, जिन्हें अक्सर ब्रिटन और अमेरिका जैसे देशों से संरक्षण प्राप्त होता है और साथ ही नषिपक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली के लिये भारत की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।
- **हरिसत में यातना का नविरण:** NHRC के अनुसार भारत में हरिसत में होने वाली स्थिति "अनयित्ति" है, जिसमें केवल वर्ष 2019 में 1,731 हरिसत में मौतें दर्ज की गई थी।
 - UNCAT का अनुसमर्थन करने के लिये भारत को यातना की रोकथाम करने के उपायों का क्रियान्वन करना होगा।
- **संवैधानिक दायित्व:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना से सुरक्षा भी शामिल है।
 - 1999 सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय कथि कहरिसत में यातना मूल अधिकारों का उल्लंघन है और इससे मानव की गरमा प्रभावति होती है तथा न्यायालयों द्वारा यथार्थवादी वधियों से इसका नविरण कथि जाना चाहयि।
- **जवाबदेही सुनिश्चति करना:** UNCAT के अंतर्गत यातना की जाँच, अभयिजन कथि जाने और उसे अपराध घोषति कथि जाने का प्रावधान कथि गया है तथा भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन करने पर देश की वधिकि ढाँचे में इनका कार्यान्वन कथि जाएगा।
 - 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों को पुलसि कदाचार के खलिफ स्वतंत्र नगरिनी और नागरकि नविरण के लयि पुलसि शकियत प्राधकिरण स्थापति करने का आदेश दयि था।
- **सुभेदय समुदायों की सुरक्षा:** दलितों, अल्पसंख्यकों और शरणार्थयों सहति उपांतकिकृत समुदाय हरिसत में हसि से असमान रूप से प्रभावति होते हैं।
 - UNCAT का अनुसमर्थन करने से सभी आधारों (धर्म, जाति, नसल और जातीयता) पर यातना को प्रतबिंधति कथि जाएगा तथा युद्ध अथवा आपात स्थतियों में भी मानवीय गरमा को अकषुण रखा जाएगा।

UNCAT का अनुसमर्थन न करने से भारत की वैश्वकि स्थति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- **प्रत्यर्पण अनुरोधों पर प्रभाव:** वभिनिन मामलों के भगोड़े व्यक्ती भारत में यातना-रोधी कानूनों के अभाव के कारण प्रत्यर्पण से बच जाते हैं, जसिसे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ रहा है।
 - इस वधिकि अभाव के कारण अंतर्राष्टरीय अपराध और आतंकवाद की रोकथाम करने की भारत की क्षमता कमजोर होती है।
- **सॉफ्ट पावर पर प्रभाव:** हरिसत में यातना की समस्या से नपिटने में भारत की वफलता से मानवाधकारों के प्रति प्रतबिद्ध एक लोकतांत्रकि राज्य के रूप में इसकी वशि्वसनीयता प्रभावति होती है।
 - अमेरिका के गवांतानामो बे उदाहरण से यह स्पष्ट होता है किराज्य की हरिसत में यातना से कसि प्रकार कसिराष्ट्र की नैतिक सत्ता की अपूरणीय क्षति होती है।

यातना-रोधी वधिकि लयि क्या अनुशंसाएँ की गई हैं?

- **राज्य सभा समति (2010):** यातना नविरण वधियक, 2010 पर राज्य सभा समतिने एक व्यापक यातना-वशिधी वधिकि अनुशंसा की, जसि व्यापक राजनीतिक और सारवजनकि समर्थन प्राप्त हुआ।
- **भारतीय वधि आयोग:** अपनी 273वीं रिपोर्ट (2017) में आयोग ने UNCAT के अनुसमर्थन और UNCAT का क्रयान्वन कथि जाने हेतु एक वधि नरिमाण की अनुशंसा की, जसिमें यातना को अपराध घोषति कथि जाने की आवश्यकता पर बल दयि गया।
 - इसमें सरकार के वधिरार्थ यातना नविरण वधियक का मसौदा भी प्रस्तुत कथि गया।
- **सर्वोच्च न्यायालय:**
 - 1997: इसमें हरिसत में यातना की रोकथाम कथि जाने तथा गरिफ्तारी और नज़रबंदी में पारदर्शति सुनिश्चति करने के लयि दशि-नरिदेश नरिधारति कथि गए।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय कथि, मामले की जाँच करना और आरोपी से पूछताछ करना पुलसि का अधिकार है, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लयि थर्ड डगिरी यातना का उपयोग कथि जाने की अनुमतनिहीं है।
 - लोक सेवकों द्वारा हरिसत में हसि के मामलों में, राज्य भी उनके कार्यों के लयि उत्तरदायी होगा।
 - 1985: हरिसत में यातना से संबंधति मामलों में साक्ष्य का भार पुलसि अधिकारी पर होता है।
 - नंबी नारायणन मामला, 2018: गलत अभयिजन और हरिसत में दुरव्यवहार के कारण होने वाले मनोवैज्ञानकि आघात पर प्रकाश डाला गया।
- **राष्टरीय मानवाधकार आयोग (NHRC):** NHRC ने सलाह दी कज़िलि मजसिस्ट्रेट और पुलसि अधीक्षकों को हरिसत में यातना की घटनाओं की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर अपने सेक्रेटरी जनरल को देनी चाहयि।
 - ऐसा न करना घटना को छपाने का प्रयास माना जा सकता है।
- **अंतर्राष्टरीय दायित्व:** संविधान के अनुच्छेद 51(c) और 253 में अंतर्राष्टरीय संधयों का पालन करना आवश्यक है।
 - भारत ने UDHR (वर्ष 1948) और नागरकि तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्टरीय वाचा (वर्ष 1976) जैसी संधयों का अनुसमर्थन कथि है, लेकिन UNCAT का अनुसमर्थन नहीं कथि है, जसिसे इसके मानवाधकार ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।

भारत में हरिसत में यातना का समाधान कैसे कर सकता है?

- **कानूनी सुधार:** UNCAT मानकों के अनुरूप दंड और पीड़ितों को मुआवज़ा देने के साथ एक सख्त यातना नविवरण कानून बनाना, तथा यातना समाप्त करने के लिये भारत की प्रतबिद्धता को सुदृढ़ करने के लिये UNCAT का अनुसमर्थन करना।
- **संस्थागत जवाबदेही:** हरिसत में हिसा के मामलों में पुलिस के खिलाफ त्वरित, पारदर्शी कार्यवाही करना और पुलिस रिमांड की आवश्यकता वाले संवेदनशील मामलों के लिये ज़िला स्तर पर विशेष टीमों का गठन करना।
- **क्षमता निर्माण:** पुलिस को मानवाधिकारों, नैतिक पृष्ठभूमि और हरिसत में यातना के कानूनी परिणामों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेटों को रिमांड मूल्यांकन और प्राकृतिक न्याय के बारे में शक्ति प्रदान करना।
 - हत्यों के टकराव को रोकने और यातना के मामलों को कम करने के लिये पुलिस में अलग कानून प्रवर्तन और जाँच शाखा की स्थापना की जानी चाहिए।
- **न्यायिक निगरानी:** मजिस्ट्रेट को जाँच की निगरानी करनी चाहिए, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। हरिसत में हिसा की जाँच के लिये स्वतंत्र निकाय का निर्माण किया जाना चाहिए।

नष्करण

UNCAT का अनुमोदन करने में भारत की वफ़िलता उसके मानवाधिकार रकिर्ड को कमज़ोर करती है, प्रतयर्पण अनुरोधों को बाधित करती है, और हरिसत में यातना जारी रखने की अनुमति देती है। संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने, कमज़ोर समुदायों की रक्षा करने तथा मानवाधिकारों और न्याय के लिये प्रतबिद्ध एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की वैश्विक वश्वसनीयता बढ़ाने के लिये यातना-वरीधी कानून बनाना, जवाबदेही और न्यायिक निगरानी को मज़बूत करना आवश्यक है।

दृष्टिमेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में हरिसत में हिसा और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिये कानूनी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

2021-22:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का वश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021)

प्रश्न. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकित्वों (मकैनज़िम) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिये। (2014)